शासकीय महाविद्यालय मंगचुआ

जिला - बालोद (छ.ग.) 491665

स्थापना वर्ष : 2013-2014

विवरण पत्रिका

Ø- 3201

अनुक्रमणिका

लक्ष्य एवं उद्देश्य	02
संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय	03
प्रवेश संबंधी नियमावली	03
विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता	04
शुल्क विवरणिका	06
अध्यापन मंडल की सूची	07
सहयोगी कर्मचारियों की सूची	07
छात्र–छात्राओं हेतु सुविधायें	08
खेलकूद	08
रेमेडियरल / टिटोरियल / विशेष कक्षाएँ	08
अतिथि व्याख्यान	08
शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ	09
शैक्षणिक भ्रमण	09
संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद–विवाद / प्रश्नमंच / विज्ञान प्रदर्शनी	09
पूर्व विद्यार्थी समिति	09
शिक्षक पालक समिति	10
एन्टी रैगिंग समिति	10
पुरस्कार वितरण समारोह	10
आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	10

संलग्न प्रपत्र

1. नियमित प्रवेश के लिये आवेदन पत्र
2. अकादमिक विवरण पत्रिका
3. अमहाविद्यालयीन छात्र के रूप में प्रायोगिक कार्य हेतु पंजीयन आवेदन पत्र
4. पावती

इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि में प्रवेश समिति से अनुशंसा कराने के बाद ही शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।

5. प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए संस्था के सूचना पटल का अवलोकन करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने पर ही शासन द्वारा दी जाने वाली स्वीधा का लाभ दिया जावेगा।
7. क्रीड़ा क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था दी जावेगी।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्राओं को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ–साथ कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल व निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय भवन एवं परिसर में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी माँगों को मनावाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा। छात्रों को ऐसा करते पाये जाने पर उसे आचरण संहिता के विरूद्ध माना जावेगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अध्ययन संबंधी नियम :–

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75: उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस./क्रीड़ा में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाल को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजन के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दुराचरण माना जायेगा तथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परीक्षा संबंधी नियम :–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई, परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा तथा विश्वविद्यालयीन नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :–

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

शुल्क विवरणिका – 20.... – 20....

शुल्क विवरण				
कक्षा	शासकीय	अशासकीय	जनभागीदारी	कुल
B.Com./ B.A./ B.Sc. I	140/–	564/–	350/–	1054/–
B.Com./ B.A./ B.Sc. II, III	140/–	504/–	350/–	994/–

1. शासन द्वारा छात्राओं एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रू. 115.00 शिक्षण शुल्क में छूट है।
2. बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. भाग दो और तीन के नियमित छात्राओं को सुरक्षा निधि 60 रू. नहीं लगेगा।

आर्थिक दण्ड (Penal Charges) :–

1. जनरल फाईन (गैर प्रायोगिक विषय) : रू. 25.00
   (प्रायोगिक विषय) : रू. 25.00 प्रति प्रायोगिक विषय
2. ग्रन्थालय में समय पर पुस्तक जमा नहीं करने पर : रू. 0.5 प्रतिदिन
3. प्रवेश हेतु जारी सूची की तिथि के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं करने पर 100.00 विलंब शुल्क (07 दिवस तक) उसके पश्चात् प्राचार्य की अनुमति लेनी होगी।
4. यदि कोई अन्य त्रुटि/सुधार हो तो सूचना पटल पर सूचना दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें :–
   1. अंतिम परीक्षा अंकसूची (स्व प्रमाणित)
   2. दसवीं की अंकसूची (स्व प्रमाणित)
   3. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (छायाप्रति)
   4. जाति/निवास/रक्त समूह
   5. खेल–कूद प्रमाण पत्र
   6. नवीन प्रवेशार्थी को बोर्ड/समकक्ष परीक्षा संस्थान द्वारा जारी की गई प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन प्रमाण पत्र)

छात्र–छात्राओं हेतु सुविधायें

1. विद्यार्थी सहायता निधि : गरीबी रेखा के नीचे के आय समूह के जरूरतमंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. छात्रवृत्ति : महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3. पुस्तकालय एवं वाचनालय : इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

4. Girls Common Room : इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए Girls Common Room की व्यवस्था है।

5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ के लिये शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों का निवारण करती है।

6. महिला परामर्श प्रकोष्ठ (Women Conselling Cell) : इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एकल समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श (Counselling)/मार्गदर्शन करती है।

7. चिकित्सा सुविधा : महाविद्यालय के विज्ञान संकाय/एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा चिकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं का सामान्य परीक्षण काराया जाता है। महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की भी व्यवस्था है।

8. खेलकूद : छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से सम्बन्धित विविध गतिविधियों के लिए विशेषज्ञ/प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है। महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निंम्नलिखित है –

खेल मैदान :– लगभग 4 एकड़

(अ) आउटडोर : क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो–खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, कबड्डी

(ब) इन्डोर : कैरम, शतरंज

9. रेमेडियरल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएँ : इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा हर कक्षा के कमजोर एवं देदीप्यमान छात्रों को पहचान कर उनके लिए आवश्यकता अनुसार रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएँ ली जाती हैं।

10. अतिथि व्याख्यान : महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ

गतिविधि समितियाँ (Activity Society) : विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है।

1. सांस्कृतिक समिति (Cultural Society)
2. सामाजिक गतिविधि समिति (Social Activity Society)
3. विज्ञान समिति (Science Society)
4. क्रीड़ा समिति (Sports Society)
5. लैंगिक मामलों की समिति (Gender Issue Society)
6. पर्यावरण समिति (Eco Society)
7. अनुशासन समिति (Discipline Society)
8. ऐंटीरैगिंग समिति (Antiraging Society)
9. भौतिक सत्यापन समिति (Cultural Society)
10. रेडक्रॉस समिति (Redcross Society)

शैक्षणिक भ्रमण : महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को उनके विषय का व्यावहारिक ज्ञान विकास हेतु भ्रमण के लिए ले जाया जाता है।

संगोष्ठी/कार्यशाला/वाद–विवाद/प्रश्नमंच/विज्ञान प्रदर्शनी : स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए समय–समय पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी/कार्यशाला/वाद–विवाद/प्रश्नमंच/पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन इस महाविद्यालय में किया जाता है।

भूतपूर्व विद्यार्थी समिति (Alumni Association) : राष्ट्र, राज्य एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी एवं योगदान देने वाली इस महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र–छात्राओं का यह संगठन विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, अनुभव, स्मृतियों, मार्गदर्शन एवं इस महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देता है।

शिक्षक पालक समिति : पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान–प्रदान, विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिये पालक शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के तीसरे शनिवार को 3.00 बजे दोपहर को आयोजित की जाती है।

एन्टी रैगिंग समिति : महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान/प्रताड़ित न किया जावे इस हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति गठित की जाती है एवं सावधानीपूर्वक निगरानी रखती है। पूर्व समय से महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी कोई प्रकरण/समस्या नही है। फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है।

पुरस्कार वितरण समारोह : वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र/छात्राओं/मेधावी छात्र/छात्राओं को शिक्षकों की एक समिति के द्वारा अनुशंसित विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ : इस महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है।

इस समिति के द्वारा हर माह होने वाली यूनिट टेस्ट, तिमाही एवं छःमाही परीक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों के विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है। छःमाही परीक्षा के प्राप्तांक का 10 प्रतिशत अंक वार्षिक परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची में जोड़ा जाता है।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पाँच में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.20........ तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को सूचना पटल पर सूचना दी जावेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.20........ तक की जावेगी।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अनुपस्थित छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान ले सकते हैं, सम्भाव्य है।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

Govt. Naveen College
MANGCHUWA
Distt. Balod

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा,जिला-बालोद (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022–23

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला–बालोद (छ.ग.)

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :–

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी. / आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनका संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नही करा रहे हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं / अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया. इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर अटल नगर

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***26 अगस्त*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयो की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्ही विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय,
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 मे प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मे स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमो मे दाखिलो के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना मे समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) मे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) मे सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ मे अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण मे कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रो को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मे स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम मे दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर मे व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रो द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मे अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमो मे दाखिलो के लिए प्रयास किये जा रहें हो तो उस समय ऐसे विषयो को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष मे प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहो मे

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा,जिला-बालोद (छ.ग.)

आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाए।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा मे नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 *विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष* में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे, हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11 **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु कम प्रतिशत प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय मे प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय मे स्थान रिक्त रहने की स्थिति मे ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ST - 32

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी। SC - 12

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटो पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम मे पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। OBC -14

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियो के अन्य विशेष वर्गों के संबंध मे क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट — 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 03 प्रतिशत

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को — 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने — 05 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 15 प्रतिशत / 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मे अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, (छ.ग.)

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / — 10 प्रतिशत

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रचार करने वाले दल के सदस्यों को

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्या.
मंगचुवा, जिला–बालोद (छ.ग.)

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/

क्रमांक 2937/761/आउशि/सम/2022

प्रति

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक ।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 दिनांक 06.06.2022

----00----

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

7.6.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2938/761/आउशि/सम/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/06/2022

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

7.6.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1130

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा,जिला-बालोद (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

शैक्षणिक सत्र 2022–23 का अकादमिक केलेण्डर

क्र.		विवरण	तिथियाँ
1	प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर)		
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2022 से 16.08.2022 तक
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से	
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		26 अगस्त, 2022 तक
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		01.07.2022 से
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन		11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		16.06.2023 तक
6	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		31.08.2023 तक
7	पूरक परीक्षा का आयोजन		न्यूनतम समय में
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		31.10.2023 तक
9	छात्रसंघ गतिविधियाँ		
	(क)	छात्रसंघ गठन प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार
10	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :–		
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2022 से
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2022 तक
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन
11	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :–		
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन
	(ग)	एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन	24.12.2022 से 31.12.2022 तक
	(घ)	दीक्षान्त समारोह	जनवरी–फरवरी, 2023

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

1–17

	विवरण		तिथियाँ
	अवकाश		
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	03.10.2022 से 05.10.2022 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (3 दिन)	24.10.2022 से 26.10.2022 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	24.12.2022 से 26.12.2022 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2023 से 15.06.2023 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2022
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2022
	3	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.11.2022
	4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	24, 25, 26 नवम्बर, 2022
	5	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2022
	6	द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर, 2022
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	27, 28, 30 जनवरी, 2023
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	माह फरवरी, 2023
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च, 2023 प्रथम सप्ताह से

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है विना इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक / स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रकिया	16 जून से 30 जून, 2022	—
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई, 2022	16 जनवरी, 2023
प्रायोगिक परीक्षाएँ	24 नवम्बर, 2022 से	24 अप्रैल, 2023 से
परीक्षा पूर्व तैयारी	25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक	25 अप्रैल, 2023 से 10 मई, 2023 तक
लिखित परीक्षाएँ	11 दिसम्बर, 2022 से	11 मई, 2023 से
परीक्षा परिणाम	15 जनवरी, 2023	15 जून, 2023

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –

   6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. समस्त प्रकार की बैठक / स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगें।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. Naveen College MANGCHUWA Distt. Balod (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला–बालोद (छ.ग.)

यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के [illegible] हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

आवश्यंकता पडने पर अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

---000---

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

Govt. Naveen College
MANGCHUWA
Distt. Balod (C.G.)